जल जीवन मिशन कार्यालय,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
60/1, एक्वा हाउस, इन्दिरा नगर, देहरादून–248001 उत्तराखण्ड

फोन : 0135-2643727
फैक्स : 0135-2644050
ई.मेल : ceswsm2020@gmail.com

पत्रांक: 611/JJM-51 दिनांक 08/09/2021

सेवा में,

सम्पादक,
हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण,
(उत्तराखण्ड संस्करण) देहरादून।

संन्दर्भ– 572/JJM-51 दिनांक 28 अगस्त, 2021।
605/ JJM-51 दिनांक 06 सितम्बर, 2021।

विषय :– समाचार पत्रों में शुद्धि पत्र प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत फर्मों से निविदा आंमत्रित किये जाने हेतु दिनांक 29 अगस्त, 2021 एवं 07 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में डी0ए0वी0पी0 दरों के अन्तर्गत प्रकाशित करवाया गया था। उक्त प्रकाशित हो चुके विज्ञापन में आवश्यक संशोधन किया जाना है।

अतः निम्नानुसार शुद्धि पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को (न्यूनतम साइज में) प्रकाशित करवाने का कष्ट करें, तथा सूचना विभाग से बिल सत्यापित करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) कार्यालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत फर्मो से निविदा आंमत्रित किये जाने के सम्बन्ध मे।

शुद्धि पत्र

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून" के अधीन संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत फर्मों से पूर्व में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 सांय 5:00 बजे तक स्वंय, अथवा डाक द्वारा निविदा आंमत्रित की गयी थी। जिसमें आवश्यक संशोधन किया गया गया है एवं निविदा आंमत्रित की जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को विस्तारित करते हुये 23 सितम्बर, 2021 की जाती है। जिसकी शर्तें एवं विस्तृत जानकारी वैबसाईट http://swajal.uk.gov.in पर उपलबध है।

पता– जल जीवन मिशन कार्यालय, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, 60/1, एक्वाहाउस, इन्द्रानगर देहरादून–248001 उत्तराखण्ड। E-Mail: ceswsm2020@gmail.com

मुख्य अभियन्ता
जल जीवन मिशन

(बी. के. पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपिः– एम.आई.एस. विशेषज्ञ, पी.एम.यू. देहरादून को स्वजल परियोजना की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता

<u>वैबसाईट पर अपलोड हेतु।</u>

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) कार्यालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत फर्मों से निविदा आंमत्रित किये जाने के सम्बन्ध मे।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के अधीन संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत फर्मो से दिनांक 23 सितम्बर, 2021 सांय 5:00 बजे तक स्वंय, अथवा डाक द्वारा मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, देहरादून को सम्बोधित करते हुए उपरोक्त पते पर निविदा आंमत्रित की जाती है।

पदो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	पद	प्रतिमाह निर्धारित मानदेय (अंको में) (समस्त कर/कटौतियों सहित)/प्रति व्यक्ति (रू.में)	प्रतिमाह निर्धारित मानदेय (शब्दों में) (समस्त कर/कटौतियों सहित)/प्रति व्यक्ति (रू.में)
1.	अवर अभियन्ता		
2.	कार्यालय सहायक		
3.	टैली सहायक		
4.	लेखा सहायक		
5.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर		
6.	बहुउद्देशीय कर्मी		

पता– जल जीवन मिशन कार्यालय, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, 60/1, एक्वाहाउस, इन्द्रानगर देहरादून–248001, उत्तराखण्ड।

E-Mail: ceswsm2020@gmail.com

निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। फर्म के समस्त दस्तावेज एवं अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

निविदादाताओं हेतु शर्तेः–

1. निविदा की दरें जल जीवन मिशन कार्यक्रम हेतु फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिये आमंत्रित की गई है।
2. निविदादाता का नियमानुसार लेबर एक्ट के अन्तर्गत श्रम विभाग में केन्द्रीय उत्तपाद एवं सीमा शुल्क विभाग, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
3. कार्यालय सहायक, टैली सहायक, लेखा सहायक, बहउद्देशीय कर्मी एवं अवर अभियन्ता हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 319/VIII/19-228 (श्रम)/2001- पार्ट II दिनांक 08 मार्च, 2019 में उल्लेखित मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते के रूप में कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश संख्या– 1892 /4–01/13 दिनांक 07–04–2021 के द्वारा निर्धारित दरें तथा सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई.पी.एफ., ई. एस.आई. तथा जी0एस0टी0 की दरें अनुमन्य होंगी । जिसका भुगतान विभाग द्वारा फर्म को किया जायेगा।
4. जल जीवन मिशन में तैनात किये जाने वाले अकुशल/अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की अनुमानित संख्या निम्नवत् होगीः–

क्र0 सं0	पद	अनुमानित संख्या
1.	अवर अभियन्ता	4
2.	कार्यालय सहायक	4
3.	टैली सहायक	2
4.	लेखा सहायक	2
5.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (DEO)	8
6.	बहुउद्देशीय कर्मी	4

5. निविदादाता द्वारा कार्मिकों के भुगतान के अन्तर्गत देय ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा जी0एस0टी0 आदि संबधित विभागों में समय से जमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत एवं निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निविदादाता द्वारा दी गयी दरें सम्पूर्ण जल जीवन मिशन की निर्धारित अवधि के लिये होगी।
7. प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं इसके साथ दी गई शर्तों, निर्देश एवं प्रतिबन्ध को हस्ताक्षरित करेगा और अपनी फर्म का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। यदि निविदादाता फर्म/कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के गठन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने होगें।
8. प्रत्येक निविदादाता निविदा डालने से पूर्व आपूर्ति तय समय पर करने की सुनिश्चिता अवश्य कर ले। कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल आदि का भली–भाँति निरीक्षण कर लें।
9. निविदादाता को अपनी दरें अनिवार्य रूप से अंकों व शब्दों में प्रति इकाई साफ–साफ उल्लिखित करनी होगी। फोर कटिंग मान्य नही होगी। अंको व शब्दों की धनराशि में यदि काई अन्तर पाया जाता है तो (शब्दो) राशि को उल्लिखित दर के रूप में मान्य किया जायेगा।
10. निविदा खुलने के पश्चात टैक्स ढांचे मे परिर्वतन यथा शासनादेश प्रभावी होगा।
11. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रचार एवं किसी भी प्रकार का अवांछित दबाव जिससे निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, निविदा निरस्त करने के लिये पर्याप्त होगा।
12. निविदादाता द्वारा कार्मिकों के हित मे समय–समय पर लागू शासनादेशों की अधिसूचनाओं का पालन करना होगा।

13. आवश्यकतानुसार आपूर्ति की समय अवधि व कार्मिकों की संख्या को घटाया –बढाया जा सक है । कार्मिकों की आपूर्ति मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन द्वारा समय–समय पर आदेश के आधार पर करनी होगी ।

14. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी कार्मिक का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में उसके स्थान पर अन्य श्रमिक को उपलब्ध कराना होगा।

15. निविदादाता की यह बाध्यता होगी कि कार्मिकों की सम्पूर्ति मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन द्वारा इंगित स्थल पर सुनिश्चित करें।

16. सामान्यतः ठेकेदार को कार्मिकों की व्यवस्था हतु 07 दिन का समय दिया जाएगा। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए तुरन्त आपूर्ति की जरूरत भी पड़ सकती है, ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा तत्काल श्रमिक उपलब्ध कराने को बाध्य होगा।

17. कार्मिकों को किसी भी प्रकार की क्षति होने की दशा मे समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म को उठानी होगी । इसके लिए मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

18. निविदा स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि सम्बन्धित निविदादाता फर्म के प्रतिनिधी की आकस्मिक मृत्यु अथवा अन्यथा अक्षम हो जाने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त निविदादाता फर्म के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा, तथा उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप देय समस्त भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किये जा सकेंगे।

19. यदि किसी भी समय निविदादाता फर्म को अधिक भुगतान कर दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में आता है तो अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली उसकी जमानत राशि से या अन्य अभुगतानित देयकों (unpaid bills) से समायोजन के द्वारा अथवा उसकी अन्य परिसम्पत्तियों से कर ली जाएगी।

20. न्यूनतम दर की निविदा की स्वीकृति के उपरान्त भी यदि किसी स्तर पर उस निविदादाता (एल–1) द्वारा कार्मिकों की समय से आपूर्ति नही किए जाने की स्थिति में (एल–2/एल–3 आदि) से एल–1 की दर पर कार्मिकों की आपूर्ति कराने/कार्यादेश देने को मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन सर्वथा सक्षम होंगे।

21. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत कर ली जायेगी और उसके आधार पर जिसे कार्यादेश निर्गत किया जायेगा उसे वह कार्य स्वयं करना होगा अर्थात् उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कार्य कराने का उत्तरदायित्व प्रतिनिहित नहीं किया जा सकेगा।

22. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के शंका समाधान हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जल जीवन मिशन, देहरादून में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

23. अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् निविदादाता लिखित कार्यादेश प्राप्त होने पर निश्चित तिथि व स्थान पर श्रमिक की आपूर्ति करेगा।

24. निविदा की खुलने की तिथि मे राजकीय अवकाश होता है तो ऐसी दशा मे निविदा खुलने की अगली कार्यदिवस की तिथि निर्धारित होगी।

25. निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्मिक को भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा ।

26. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–1542/VII-3-19/143-उधोग /2003 देहरादून दिनांक 20 अगस्त 2019 के प्राविधानुसार कय वरियता/छूट प्रदान की जायेगी ।

Earnest Money Deposit(E.M.D.) (निविदा प्रतिभूति)

1. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा मूल्य के दो प्रतिशत **रू0 1,08,000/–(रूपये एक लाख आठ हजार मात्र)** के रूप में यथानिर्दिष्ट धनराशि का भारत के किसी शैडयूल बैंक द्वारा जारी डिमान्ड ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र जो मिशन निदेशक,

जल जीवन मिशन के पदनाम से होगी जो निविदा प्रकाशन के दिनांक से 45 दिनों तक वैध होगी। निविदा धरोहर धनराशि को अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानुसार अवमुक्त की जायेगी।

2. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्रो को submit करने के पश्चात निविदा प्रक्रिया को छोडता है या निविदा की शर्तो का पालन करने में विफल रहता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

❖ **Performance Security** / (कार्यपूर्ति प्रतिभूति)

1. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसे अनुमानित सामग्री की कुल 10 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमानत के रूप में निम्न में से किसी एक रूप में अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के समय रखनी होगी जो भारत के किसी शैडयूल बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र जो मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, देहरादून के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि 28.02.2022 तक वैध होनी चाहिये।
2. यह धनराशि निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अनुबन्ध गठित न करने अथवा निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य न करने पर जब्त कर ली जायेगी।
3. यदि निविदादाता आपूर्ति करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और वैकल्पिक व्यवस्था के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं के बिलों से कटौती करके की जायेगी। यदि उसके बिलों से भी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन उक्त प्रतिपूर्ति को भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करवाने को स्वतंत्र होंगे। मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन का निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम समझा जायेगा।

क्र0सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र पर वांछनीय स्थान पर हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र	
2	E.S.I.C पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
3	G.S.T पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
4	Contract Labour Licence I पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
5	E.P.F पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
6	PAN Card की प्रति	
7	I.S.O 9001/2015 प्रमाण पत्र की प्रति	
8	विगत 10 वर्षों में सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/निगमों में निविदा में अंकित किये गये श्रमिक आपूर्ति कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
9	मूल्यांकन वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 का टर्नओवर रू 2 करोड़ से अधिक एवं सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।	
10	धरोहर राशि (E.M.D) की छायाप्रति।	
11	वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 का आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र।	
12	मूल्यांकन वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की जी0एस0टी0 का कोई भी बकाया न होने के संबध में रू 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी सहित।	
13	वित्तीय वर्ष 2020–21 के ई0एस0आई0 के जमा चालानों की प्रति।	
14	वित्तीय वर्ष 2020–21 के ई0पी0एफ0 के जमा चालानों की प्रति।	
15	फर्म होने की दशा में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।	

16	प्रोपराईटर होने की दशा में इस आशय का रू. 100.00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी सहित।	
17	ब्लैक लिस्टेड/दण्डित न होने का रू. 100.00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी सहित।	
18	निविदा के साथ रू. 100.00 मुल्य के स्टाम्प पर निविदा दरों की वैद्याता के सम्बन्ध में शपथ पत्र नोटरी सहित हस्ताक्षर कर लगाना अनिवार्य होगा जिसमें यह अवश्य उल्लेख होना चाहिये कि निविदा की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन द्वारा धरोहर एवं कार्यपूर्ति धनराशि जब्त कर ली जाये।	
19	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों की वास्तविकता होने का प्रमाण पत्र।	
20	निविदादाता के स्वंय के पते का प्रमाण पत्र।	

मुख्य अभियन्ता
जल जीवन मिशन